संख्या–वाद परिपत्र / 2021–22 / 212204B1 / 1077 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर,
(वाद अनुभाग)
लखनऊ दिनांक : 06 दिसम्बर, 2021

एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1 / ग्रेड–2 वाणिज्य कर,
ज्वाइण्ट कमिश्नर वाणिज्य कर,
डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

विभागीय अधिकारियों के विभिन्न आदेशों के विरुद्ध माननीय उच्च न्यायालय एवं माननीय उच्चतम न्यायालय में व्यापारी अथवा विभाग द्वारा रिट / रिवीजन / रिव्यू / एस०एल०पी० दाखिल की जाती है। विभागीय वादों की सम्यक एवं प्रभावी पैरवी हेतु एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1, (उ०न्या०कार्य०) प्रयागराज, एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–2. (उ०न्या०कार्य) लखनऊ तथा ज्वाइन्ट कमिश्नर उच्चतम न्यायालय कार्य, गाजियाबाद की उनके अधीनस्थ अधिकारियों के साथ तैनाती की गयी है। यह अत्यन्त खेद जनक है कि उक्त के बावजूद माननीय उच्च न्यायालय के आदेश का समयान्तर्गत अनुपालन नहीं किया जा रहा है। माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा दिनांक 29.11.2021 को सेल / ट्रेड टैक्स रिवीजन संख्या–845 / 2013 में समयान्तर्गत काउन्टर एफिडेविट दाखिल न किये जाने के कारण विभागाध्यक्ष के विरुद्ध अप्रिय आदेश पारित करना पड़ा। यह स्थिति उचित नहीं है कि संबंधित अधिकारियों द्वारा अपने दायित्वों का सम्यक निर्वहन नहीं किया जाय।

अतः निर्देशित किया जाता है कि जिन भी मामलों में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाना पेण्डिंग हो उनमें अभियान चलाकर एक माह के अन्तर्गत अथवा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दी गयी समयावधि के अन्तर्गत जो भी पहले हो, प्रतिशपथ पत्र दाखिल किया जाये। संबंधित ज्वाइन्ट कमिश्नर का दायित्व होगा कि अनुपालन सुनिश्चित करायें। नियत समय के अन्तर्गत प्रतिशपथ पत्र दाखिल न किये जाने पर व्यक्तिगत उत्तरदायित्व निर्धारित किया जायेगा। एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1 / ग्रेड–2 (उ०न्या०कार्य०) प्रयागराज / लखनऊ एक माह बाद मुख्यालय को यह सूचना उपलब्ध करायेगें कि उक्त निर्देश के बाद भी कितने मामलों में प्रतिशपथ पत्र दाखिल नही किया जा सका तथा संबंधित अधिकारीगण के नाम, पदनाम एवं दाखिल न होने का कारण भी सूचित करेगें। माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष समयान्तर्गत प्रतिशपथ पत्र प्रस्तुत कराना एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1 / ग्रेड–2 (उ०न्या०कार्य०) प्रयागराज / लखनऊ का अनिवार्य दायित्व है। इस हेतु यह प्रक्रिया आगे भी प्रत्येक माह जारी रहेगी तथा माह के 10 तारीख तक यह विवरण मुख्यालय को उपलब्ध कराया जायेगा।

2.....

यदि किसी मामले में प्रतिशपथ पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में माननीय न्यायालय द्वारा समयबद्ध दाखिल करने हेतु आदेशित किया जाता है तथा वितथ की दशा में विभागाध्यक्ष की उपस्थिति हेतु निर्देशित किया जाता है तब उसी दिन उसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देगें तथा तत्काल समस्त संबंधित अधिकारियों से सम्पर्क कर आवश्यक अग्रिम कार्यवाही सुनिश्चित करायेगें।

उक्त निर्देशों का पूर्ण परिपालन सुनिश्चित किया जाये। यदि भविष्य में यह प्रकाश में आता है कि बिना किसी उचित कारण के प्रतिशपथ पत्र दाखिल करने में विलम्ब किया गया है तो संबंधित अधिकारी एवं उसके नियंत्रक अधिकारियों के विरुद्ध प्रतिकूल दृष्टिकोण अपनाते हुये अग्रिम कार्यवाही की जायेगी ।

(मिनिस्ती एस)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।

पृष्ठांकन दिनांक उक्त:–

प्रतिलिपि–1– समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड–1, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने अधीनस्थ अधिकारियों को उक्त से अवगत कराते हुये पूर्ण परिपालन सुनिश्चित करायें।

2–एडीशनल कमिश्नर, ग्रेड–1/ग्रेड–2 (उ०न्या०कार्य०) प्रयागराज /लखनऊ को अनुपालनार्थ ।

3– ज्वाइन्ट कमिश्नर, आई०टी०अनुभाग, वाणिज्य कर मुख्यालय को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि समस्त अधिकारियों को सूचित करने हेतु उक्त को विभागीय वेबसाइट पर प्रकाशित करने का कष्ट करें ।

भवदीय,

6.XII.2021

(सुनील कुमार राय)
एडीशनल कमिश्नर (विधि), वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ ।